न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज०)

पीठासीन अधिकारी :-रिछपाल सिंह बुरडक आर०ए०एस०

अपील संख्या :- 25/2019

अपीलान्ट :-

1. किसनाराम पुत्र सोहनराम जाति जाट निवासी मारोठिया तहसील सुजानगढ जिला चुरू

रेस्पोडेन्ट :-

1. नायब तहसीलदार ,लाडनूं।

उपस्थित अधिवक्ता :-

श्री दुर्जाराम पूनियां एवं श्री ओम पूनियां अधिवक्तागण, अपीलान्ट की और से।

अपील विरूद्ध निर्णय राजस्व प्रकरण संख्या 42/2018 दिनांक 29.08.2018 बअनवान सरकार जरिये पटवारी हल्का सुनारी बनाम किसनाराम पुत्र सोहनराम द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार लाडनूं अन्तर्गत धारा 91 राज० भू-राजस्व अधिनियम 1956

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज० भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :- 08.04.2021

{1} यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार लाडनूं के प्रकरण संख्या 42/2018 बअनवान सरकार जरिये पटवारी हल्का सुनारी बनाम किसनाराम पुत्र सोहनराम में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2018 के विरूद्ध पेश की है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सुनारी ने अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार लाडनूं को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने ग्राम सुनारी के खसरा नंबर 02 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा भूमि किस्म गै०मु० रास्ता पर टीनशेड व बाड बना कर अतिक्रमण कर रखा है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थी को राज० भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा मौजा सुनारी के खसरा नंबर 02 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा भूमि किस्म गै०मु० रास्ता पर टीनशेड व बाड बना कर अतिक्रमण किये जाने से अपीलान्ट/अप्रार्थी

अतिरिक्त जिला कलक्टर

द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अपीलान्ट/अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर मौजा सुनारी के खसरा नंबर 02 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा भूमि किस्म गै०मु० रास्ता से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया एवं वार्षिक लगान दर से जुर्माना रूपये 26/– अक्षरे छब्बीस रूपये कायम किया गया ।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 16.04.2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 16.04.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक एनटी / 2019/45 दिनांक 04.06.2019 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त हुई। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय की निर्णय दिनांक 29.08.2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि, नकल प्रार्थना पत्र दिनांक 03.04.2019, नकल जवाब अप्रार्थी , नकल मौका फर्द , नकल नक्शा एवं नकल खतौनी की प्रतिलिपि पेश की है।

{3} वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी । वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया है कि :-

{3} 1. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है , अतः निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3} 2. यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरित निर्णय अधिन अपील पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधिन अपास्त किये जाने योग्य है।

{3} 3. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेखपर उपलब्ध साक्ष्य के विपरित न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए निर्णय अधिन अपील पारित करने में घोर त्रुटि की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3} 4. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पत्रावली पर कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं मिली है तथा न ही पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये है तथा अपीलांट/अप्रार्थी को साक्ष्य साबुत का अवसर भी नही दिया हैं इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

{3} 5. यह है कि अपीलार्थी/अप्रार्थी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्ष रखने का कोई अवसर नही दिया गया, ना ही पटवारी हल्का द्वारा पटवारी रिपोर्ट अपीलार्थी/अप्रार्थी के समक्ष बनाई तथा ना ही अपीलार्थी/अप्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

{3} 6. यह है कि अपीलार्थी का संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नंबर 1 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नंबर 03 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा भूमि वाके सरहद सुनारी में अवस्थित है, उक्त दोनों खसरा नंबर 01 व 03 के मध्य से मौके पर न तो कभी कोई रास्ता रहा है और ना ही वर्तमान में है, जबकि पिछले 40 वर्षो से रास्ता खसरा नंबर 03 के पूर्व से पश्चिम दिशा में दक्षिणी सींव के चिपते-चिपते मौके पर चला आ रहा है तथा इसी रास्ते से होकर लोगों का आवागमन चला आ रहा है। जिस पर वर्तमान में मुरडिया सडक भी पी०डबल्यु०डी विभाग द्वारा डाली हुई है। जबकि राजस्व रिकार्ड में खसरा नंबर 01 व 03 के मध्य से होकर जो कटाणी रास्ता दर्शाया गया हैं उसका मौके पर कोई अलामात नही है तथा न ही इस कटाणी रास्ते का कभी भोग उपयोग किया गया है , जो केवल मात्र राजस्व रिकार्ड में दर्शित मात्र है।

{3} 7. यह है कि उपरोक्त खेत खसरा नंबर 03 के पूर्व से पश्चिम दिशा में खेत के दक्षिणी सींवं के चिपते-चिपते पी०डबल्यु०डी० द्वारा जो मुरडिया सडक बनाई गयी थी तथा जिस पर मुरडिया सडक मौके पर चालु है तथा आवागमन भी चालू है और अधिक खुलासा के लिए अपीलांट की और से नजरी नक्शा अनुसुची "क" प्रस्तुत है, जिसमें मार्क ए से बी भाग मुरडिया सडक दर्शायी हुई हैं। नायब तहसीलदार, लाडनूं द्वारा राजस्व रिकार्ड में वर्णित कटाणी रास्ता जो नजरी नक्शा अनुसुची "क" में वर्णित मार्क सी से डी को रास्ता मानकर उस पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण मानते हुये अपीलाधीन दिनांक 29.08.2018 पारित किया है, जबकि अपीलांट के खेत खसरा नं 3 से पूर्व से पश्चिम , दक्षिणी सींवं के चिपते-चिपते नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए से बी मुरडिया सडक वर्तमान में आवागमन हेतू चालू है। अब अपीलांट के खेत में एक और दुसरा रास्ता जो राजस्व रेकर्ड में खसरा नंबर 02 गैर मुमकिन रास्ता जो नजरी नक्शा में दर्शित सी से डी कायम किया जाना विधी विरूद्ध है , जो अपास्त किये जाने योग्य है।

{3} 8. यह है कि अपीलांट के खिलाफ राजनैतिक द्वैषता पूर्वक यह कार्यवाही की गई है। अपीलांट ने खसरा नंबर 02 गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया । नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए से बी रास्ता आज भी चालू है। जिससे उपरोक्त कार्यवाही अपीलांट के विरूद्ध ड्राप किया जाना न्याय हित में है।

{3} 9. यह है कि मौके पर नजरी नक्शा में दशायि बिन्दु ए से बी रास्ता आज भी खुला है तथा अब उपरोक्त आदेश की आड में नया रास्ता कायम किया जाना विधि की मंशा नही है तथा अपीलांट के खेत खसरा नबर 03 में से अगर कोई रास्ता कायम किया जाता है तो अपीलांट के खेत में से दो रास्तें कायम हो जावेंगे, जिससे अपीलांट की सारी कृर्षि भूमि रास्तों में ही चली जावेगी। उपरोक्त कृर्षि भूमि अपीलांट के जीवन यापन का आधार है अगर उपरोक्त निर्णय के आधार पर एक और रास्ता कायम किया जाता है तो अपीलांट को अजहद भारी नुकसान होगा।पी.डबल्यु.डी द्वारा जो मुरडिया सडक का निर्माण किया गया था, उस वक्त राजस्व कर्मचारियों द्वार नाप-चौक करके

इसी को खसरा नंबर 03 रास्ता की भूमि मानकर मुरडिया सडक का निर्माण किया गया है, जिससे उपरोक्त अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

{3} 10. यह है कि मौके पर अपीलार्थी द्वारा उपर वर्णित खसरा नंबर 02 में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया गया है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

{3} 11. यह कि कि उपरोक्त खसरा नंबर 01 व 03 में अन्य सहखातेदार भी है, जिनको अधिनस्थ न्यायलय ने पक्षकार न बनाकर केवल मात्र अपीलार्थी को पक्षकार बनाया है , जबकि उक्त खसरान की भूमि में अपीलार्थी व अन्य सहखातेदारों का हित एक समान है, जिससे भी उपरोक्त अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

वक्त बहस दिनांक 16.04.2019 को प्रार्थी श्री भंवरलाल पुत्र श्री रामकरण जाति जाट निवासी मारोठिया तहसील लाडनूं ने, जरिये अधिवक्ता श्री विक्रम कुडी ,प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी०पी०सी प्रस्तुत किया । आदेशिका दिनांक 12.03.2021 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक पक्षकार नही होने से खारिज किया गया।

{4} – प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के संबध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबधं में परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय दिनांक 29.08.2018 को हुआ है तथा प्रार्थी को इस निर्णय की जानकारी 11.04.2019 को नकले प्राप्त करने से हुई हैं । प्रार्थी ने आगे निवेदन किया है कि अपील में हुयी देरी माफ योग्य हैं जिससे अवधि दिनांक 29.08.2018 से 11.04.2019 तक की समयावधि को कण्डोन किये जाने के आदेश फरमावे। अपीलार्थी को जानकारी का अभाव होने से अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी पर , सहानूभूतिपूर्वक विचार किया जाकर अवधि दिनांक 29.08.2018 से 11.04.2019 तक की समयावधि को कण्डोन किया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

{5} – बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का सुनारी की रिपोर्ट जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम सुनारी के खसरा नंबर 02 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा भूमि किस्म गै०मु० रास्ता पर टीनशेड व बाड बना कर अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील जारी करने से पूर्व अप्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध फर्द अहकाम के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 28.06.2018 को अपीलांट/अप्रार्थी अधिनस्थ की और से वकील श्री भगवती प्रसाद शर्मा ने वकालत नामा पेश किया तथा दिनांक 05.07.2018 को अपीलांट/अप्रार्थी ने स्वयं अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित

होकर अपना जवाब पेश किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अप्रार्थी को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा गैर मुमकिन रास्ता पर नाजायज अतिक्रमण किया गया है । उक्त भूमि रास्ते की भूमि हैं तथा वर्तमान में भी राजस्व रिकार्ड में रास्ते के नाम से दर्ज होकर सार्वजनिक उपयोगार्थ है, जिस पर आमजनों की आवाजाही रहती है जिसे बन्द/अतिचार किये जाने से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा भूमि पर बिना विधी संगत प्राधिकार के अधिवास या कब्जा कर रखा हो, उसे अतिचारी समझा जायेगा तथा उसें तुरन्त बेदखल किया जा सकता है राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही समरी कार्यवाही है। तहसीलदार को राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने का अधिकार हैं। यह स्पष्ट है कि पटवारी हल्का सुनारी द्वारा दिनांक 18.06.2018 को पेश रिपोर्ट जिसकी जांच भू-अभिलेख निरीक्षक भरनावां द्वारा की गई है उसके अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम सुनारी के खसरा नंबर 02 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा भूमि किस्म गै०मु० रास्ता पर टीनशेड व बाड बना कर अतिक्रमण किया गया है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी जो गैर मुमकिन रास्ता की भूमि है उस पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किया गया है जो हटाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलांट को बेदखली का आदेश पारित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधी सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील में कोई सार नही होने से यह अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

-:आदेश:-

अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.08.2018 उपर्युक्त विवेचनानुसार यथावत रखा जाकर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 08.04.2021 को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुहर से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)